फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भोलाराम बनाम राज0 सरकार वगै0

संशोधित निर्णय दिनांक 05.07.2023

किस्म मुकदमा– दावा मु0नं0– 20/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.07.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की भूमि खसरा नम्बर 337 वाके रामा गनीपुर तह0 सिकराय जिला दौसा मे स्थित है जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी का सही नाम भोलाराम पुत्र चतरया है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश वादी का नाम मोडिया पुत्र चतरया दर्ज हो गया, जिसे शुद्ध किया जावे। इत्यादि पर वादी का दावा दिनांक 24.01.2023 को दर्ज रजिस्टर की पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस दावा हेतु नियत कर बहस दावा सुनी गई। बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर वादी के सभी दस्तावेजात संलग्न है जिनमें वादी का नाम भोलराम है लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मोडिया पुत्र चतरया दर्ज हो गया जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 337 वाके रामा गनीपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में वादी का नाम मोडिया पुत्र चतरया के स्थान पर भोलाराम उर्फ मोडिया पुत्र चतरया दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	